



अल्पकालीन निविदा सं०-०४/२०२०-२१

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना द्वारा संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, रामपुर, फारबिसगंज एवं अन्य छात्रावासों में सुरक्षा गार्ड को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखने हेतु वित्तीय वर्ष- 2021- 22 के लिए इच्छुक एन०जी०ओ०/ स्वयंसेवी संस्थानों से निविदा आमंत्रित की जाती है। सीलबंद निविदा सूचना प्रकल्पन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर जिला कल्याण कार्यालय, अररिया में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त की जायेगी। दूसरे दिन 3.00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त, अररिया के समक्ष निविदा खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु अररिया जिला के वेबसाइट पर www.araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। सुरक्षा गार्ड को श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक परिश्रमिक भुगतान किया जायेगा। निविदा की शर्तें निम्नवत है :-

1. निविदा की शर्तें :-

तकनीकी निविदा

- (क) इच्छुक निविदादाताओं को अग्रधन के रूप में मो०-25000.00 (पचीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया के पक्ष में भुगतान होगा।
- (ख) श्रम विभाग से लेबर लाइसेंस संलग्न करना होगा।
- (ग) संबंधित निविदादाताओं को जी०एस०टी० में निबंधन प्रमाण पत्र एवं दो वर्ष का GST Return अद्यतन रिटर्न का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) निविदादाताओं को सुरक्षा गार्ड हेतु गृह विभाग से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (ङ) निविदादाताओं को पुलिस अधीक्षक से अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (च) निविदादाताओं को दो वर्ष का अद्यतन आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
- (छ) निविदादाताओं को आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (ज) निविदादाताओं को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना होगा।
- (झ) निविदादाताओं के द्वारा NGO, स्वयंसेवी संस्था/ प्रोपाईटर शीप/ प्राईवेट लिमिटेड आदि का निबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (ञ) आउटसोर्सिंग के लिए कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (ट) कोई भी निविदा या दावा अररिया जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।


वित्तीय निविदा

- (क) वित्तीय निविदा में सुरक्षा गार्ड का दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।

निविदा की शर्तें :-

- (क) स्वीकृति निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
- (ख) सफल निविदादाता से किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची में डाल कर पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

उपर्युक्त निविदा Two Bid System पर आधारित होगा। इच्छुक एन०जी०ओ०/ फर्म/ आपूर्तिकर्ता को लिफाफे को एक लिफाफे के अंदर डालकर सील कर इसे अधिसूचित पते पर निबंधित डाक/ हाथो-हाथ डालेंगे। प्रकाशित निविदा की शर्तों में परिवर्तन करने एवं निविदा रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा। विषय जानकारी के लिए अररिया जिला पर www.araria.bih.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।


13.02.21
उप विकास आयुक्त,
अररिया।